न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/41

1. धनश्याम
2. राम सहाय
3. राधेश्याम पुत्रान बद्रीलाल
4. नाथूलाल
5. बृजमोहन पुत्रान राम सहाय
6. मोहन लाल पुत्र रामनाथ

निवासीगण–ग्राम देवली, तहसील लालसोट, जिला दौसा जरिये आम जनता ग्राम देवली, तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान।

–अपीलान्टस्

बनाम

1. कैलाश पुत्र रामपाल
2. कैलाशी पत्नी रामस्वरूप
3. चिरंजी
4. नैन सहाय
5. हंसराज पुत्रान रामपाल

समस्त जाति रैगर, निवासीगण–ग्राम देवली, तहसील लालसोट, जिला दौसा।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा, राजस्थान।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 16.02.2023 जो मुकदमा नंबर 57/2022 उनवानी कैलाश बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट पर पारित किया गया है। जिससे खसरा नम्बर 382 का नक्शे पर गलत इन्द्राज करते हुए प्रार्थीगण को पक्षकार बनाये बगैर सुनवाई का अवसर दिए ही 710/257 की भूमि जिस पर आबादी भूमि में आने जाने का रास्ता है को तरमीम के द्वारा रोक दिया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री राजकुमार शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा0 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–10.07.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 16.02.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 03.05.2024 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नं0 380 रकबा 1.2700 हैक्टेयर, खसरा नं0 382 रकबा 0.1200 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.3900 हैक्टेयर वाकै ग्राम देवली, तहसील लालसोट, जिला दौसा में स्थित है। जिसे वर्तमान राजस्व नक्शे की तरमीम मुताबिक कब्जा खातेदारान प्रार्थीगण के दर्ज कर दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा द्वारा हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार करते हुये आराजी वादग्रस्त खसरा नं. 380 रकबा 1.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 382 रकबा 0.1200 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.3900 हैक्टेयर वाकै ग्राम देवली, तहसील लालसोट, जिला दौसा में स्थित कृषि के राजस्व अभिलेख में दर्ज

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पूर्व तरमीम को विलोपित करते हुए मौके पर कब्जा खातेदारान अनुसार पुनः तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार लालसोट को आदेश देते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2023 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 16.02.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट धनश्याम पुत्र बद्रीलाल वगै0 ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी. सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 16.02.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 380, 382 की पूर्व तरमीम को जहाँ से विलोपित किया गया है तथा जहाँ पुनः तरमीम की गई है। वहाँ खसरा नम्बर 710/257 रकबा 4.06 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो गैर मु. नला है तथा उक्त भूमि से आने जाने के लिए ग्राम वासियों हेतु रास्ता बना हुआ है जो खसरा नम्बर 713/257 व खसरा नम्बर 230 में बनी आबादी भूमि में आता जाता है। ग्रामीणवासी उक्त रास्ते का प्रयोग अपने–अपने निवास स्थान जाने के लिए करते है लेकिन रेस्पोडेन्ट ने तथ्य छुपाकर उक्त रास्ते की भूमि को विलोपित करवाते हुए खसरा नम्बर 381, 382 अंकित करवाया तथा गलत रूप तरमीम करवायी जिसका कि उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था तथा ग्रामवासीयों में से किसी को भी पक्षकार भी नहीं बनाया गया तथा उनकी बगैर सुनवाई किए गलत रूप से तरमीम कर दी गई जो अवैधानिक होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बगैर कब्जे की जाँच करवाये ही तथा बगैर अपीलान्ट को सूचित किये एवं बिना कोई कारण बताये ही, तरमीम करने के आदेश पारित कर दिए जबकि कानूनन कोई आदेश पारित करते समय आदेश पारित करने में कारणों का उल्लेख करना होता है इसलिए आदेश नॉन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समस्त रेस्पोडेन्ट ने नक्शा व तरमीम दुरूस्ती हेतु आवेदन पेश किया है जो 136 एल. आर. एक्ट की परिधि व स्कोप में नहीं आता है। बल्कि नक्शे में दुरूस्ती हेतु प्रथम से भू–राजस्व अधिनियम धारा उप बंधित की गई है इसका उक्त प्रार्थना पत्र गलत धारा प्रस्तुत होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था। फिर बिना क्षेत्राधिकारिता के प्रार्थना पत्र को गलत तरीके से दर्ज कर उस पर अवैधानिक आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को मौके की जाँच करनी चाहिए थी तथा उसके समक्ष प्रस्तुत पूर्व प्रार्थना पत्र जिस पर स्पष्ट अंकित किया गया था कि खसरा नम्बर 710/257 की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने बाबत् गौर करना चाहिए था अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंगवाई गई तहसीलदार रिपोर्ट जिस पर स्पष्ट रूप से अंकन था कि खसरा 710/257 की भूमि जो गैर. मु. नला हो आबादी आने का रास्ता है, का बगैर अवलोकन किए ही आलौच्य आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 136 भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें नक्शा दुरस्ती व तरमीम दुरूस्ती का अनुतोष चाहा गया है जबकि धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में राजस्व रिकॉर्ड में कोई टंकन संबंधित गलती होने पर 136 भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पोषणीय है उक्त अनुतोष धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रदत्त नहीं किया जा सकता है नक्शे में दुरूस्ती हेतु भू–राजस्व अधिनियम ने पृथक से प्रावधान है। इस कारण योग्य अधीनस्थ न्यायालय उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज करना चाहिए था लेकिन बिना कोई कारण बताये ही आलौच्य आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है जो निरस्त किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से खसरा नम्बर 380, 382 की वहाँ तरमीम की गई है वहाँ खसरा नम्बर 710/257 गै. मु. नला विद्यमान है तथा उक्त भूमि ग्राम वासियों के रास्ते के आने जाने के प्रयोजन काम में ली जाती है तथा इस बाबत् सरपंच महोदय द्वारा सर्व सम्पत्ति से राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते को दर्ज करवाने बाबत् अनापत्ति दी जा चुकी है तथा उक्त भूमि पर रोड डलने का काम चालू होने वाला ही था कि उक्त आदेश के कारण रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि पर गलत रूप से तरमीम करवा ली तथा ग्राम वासीयों की आवा जाही में व्यवधान उत्पन्न हो गया है तथा रेस्पोडेन्ट ने माननीय सिविल न्यायालय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

से स्थगन प्राप्त करने की कुचेष्टा की गई लेकिन सिविल न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट की अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमा दी तथा तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट माननीय उपखण्ड अधिकारी लालसोट से समक्ष विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं हो सकी है तथा उक्त आदेश की आड में अपीलान्ट को आबादी में जाने वाले उक्त रास्ते में से रोका जा रहा है। उक्त आदेश अपीलान्ट की बगैर सुनवाई के पारित किया गया है जिस कारण अपीलान्ट को उक्त आदेश जानकारी प्रारम्भ से नहीं रही है दिनांक 26.03.2024 को अपीलान्ट खसरा नम्बर 710/257 पर बने रास्ते से जा रहे थे। रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट का आने जाने के रास्ते का अवरूद्ध किया तो अपीलान्ट ने कहा कि हम पूर्वजों के जमाने से उक्त भूमि से आ जा रहे है तथा उक्त भूमि 710/257 गै० मुमकीन नला राजकीय है। इससे तुम्हारा कोई संबंध वास्ता नहीं है जिस पर रेस्पोडेन्ट ने एलानिया धमकी दी कि मैनें उक्त भूमि को मेरे खातेदारी खसरा नम्बर 380, 382 बताकर नक्शा दुरूस्त करवाकर तरमीम करवा ली है। तत्पश्चात अपीलान्ट एसडीओ कोर्ट में गये और पत्रावली निकालवा कर देखी तथा दिनांक 27.03.2024 को नकल के लिए आवेदन किया और दिनांक 28.03.2024 को नकल प्राप्त की गई। जिसके पश्चात् वह जयपुर आकर अधिवक्ता से मुलाकात कर राय मसूहरा कर जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 16.02.2023 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2023 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2023 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 26.03.2024 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रभावित पक्षकारों को बगैर पक्षकार संयोजित किए ही, उन्हें बिना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बगैर कब्जे की जांच करवाये ही तथा बगैर अपीलान्ट्स को सूचित किए ही बिना कोई कारण बताये ही तरमीम करने के आदेश पारित कर दिए जबकि कानूनन कोई आदेश पारित करते समय आदेश पारित करने में कारणों का उल्लेख करना होता है। तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा ने अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित पत्र क्रमांक/विविध/18/20 दिनांक 18.05.2018 में अंकित किया गया था कि " ग्राम देवली के आ0 ख0 नं0 230 गैर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मुमकिन आबादी व ख0 नं0 713/257 में आबादी बसी हुई है। उक्त ख0 नं0 में बसी हुई आबादी पुरानी है। आबादी में आने जाने के लिए ख0 नं0 710/257 गैर मुमकिन नाले में से रास्ता है व आबादी में रहने वाले लोग शुरू से ही ख0 नं0 710/257 में से आते जाते है व यही एक मात्र रास्ता है। ख0 नं0 710/257 की किस्म गै0 मु0 नला है। ख0 नं0 710/257 में 0.10 बिस्वा भूमि पर रामपाल पुत्र जैल्या जाति रैगर ने अतिक्रमण कर रखा है जिसकी धारा 91 की रिपोर्ट कर दी गई है। वर्तमान में भूमि खाली है। रामपाल पुत्र जैल्या निवासी देवली जाति रैगर द्वारा उक्त ख0 नं0 710/257 रकबा 4.00 बीघा गै0 मु0 नला में अन्य लोगों को आने जाने से रोकता है व वर्तमान में चालू रास्ते को बार–बार अवरूद्ध कर प्रार्थीगण को नाजायज परेशान करता है। ख0 नं0 713/257 व 230 में बसी आबादी में रहने वाले लोगों के लिए पूर्व से ही ख0 नं0 710/257 गै0 मु0 नला से होकर रास्ता जा रहा है इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।" का भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवलोकन नहीं किया गया। जिससे यह भी स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पिता रामपाल द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया जाता रहा है। जिनके द्वारा उक्त खसरा नम्बर 710/257 किस्म गै0 मु0 नला पर अतिक्रमण किया गया है। उक्त आबादी में आने जाने के लिए ख0 नं0 710/257 गैर मुमकिन नला में से रास्ता है व आबादी में रहने वाले लोग शुरू से ही ख0 नं0 710/257 में आते जाते है व यही एक मात्र रास्ता है।

रेस्पोडेन्ट को संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत अधिकार रखने वाले न्यायालय में ही राजस्व वाद प्रस्तुत कर चाराजोही करनी चाहिए। अर्थात धारा 136 के तहत नक्शासीट में संशोधन नहीं किया जा सकता माना है। धारा 136 के तहत सर्वे शीट अथवा नक्शे में तरमीम नहीं करायी जा सकती। धारा 136 के अनुसार केवल मात्र वे ही इंद्राज कराए जा सकते हैं जिनमें पक्षकार सहमत हो अथवा भू–प्रबन्ध की समाप्ति के पश्चात लैंड रिकार्ड अधिकारी रिकार्ड आफ राईट अथवा रजिस्टर की किन्ही लिपिकीय त्रुटियों और ऐसी किसी त्रुटियों को जिनके बारे में हितबद्ध पक्षकार सहमत हो अथवा राजस्व निरीक्षण के दौरान कोई त्रुटि जानकारी में आई हो तो दुरूस्त किया जा सकता है। धारा 136 के तहत् मात्र लिपिकीय त्रुटि को ही ठीक किया जा सकता है। दूसरे किसी पक्षकार द्वारा प्रतिरोध करने पर कोई भी अनुतोष दावे के माध्यम से तनकीयात कायम कर एवं उभयपक्षों की साक्ष्य के उपरान्त ही किया जा सकता है। राजस्व नक्शा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें किसी भी प्रकार का संसोधन किया जाने से पूर्ण सभी प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर ही कोई निर्णय किया जा सकता है एवं इस प्रकार का निर्णय दावा के माध्यम से ही किया जा सकता है। इस प्रकार की कार्यवाही में नहीं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.02.2023 द्वारा आराजी वादग्रस्त खसरा नं. 380 रकबा 1.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 382 रकबा 0.1200 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.3900 हैक्टेयर वाकै ग्राम देवली, तहसील लालसोट, जिला दौसा में स्थित कृषि के राजस्व अभिलेख में दर्ज पूर्व तरमीम को विलोपित करते हुए मौके पर कब्जा खातेदारान अनुसार पुनः तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार लालसोट को आदेश पारित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.02.2023 निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.02.2023 को निरस्त किया जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 10.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर